मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 118वीं बैठक दिनांक 24.11.2006 का कार्यवृत्त

बैठक का स्थानः किसान मण्डी भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
बैठक का समयः मध्यान्ह 12.00 बजे।

उपस्थिति

1.	श्री शिवपाल सिंह यादव, मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष	श्री शिवपाल सिंह यादव, मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री अनीस अंसारी कृषि उत्पादन आयुक्त
3.	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य	श्री जयशंकर मिश्र प्रमुख सचिव, कृषि
4.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	प्रतिनिधि	श्री शिव प्रकाश विशेष सचिव (वित्त)
5.	प्रमुख सचिव, खाद्य एंव रसद उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री सुधीर कुमार प्रमुख सचिव, खाद्य एंव रसद
6.	सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री एस0ए0ए0 रिजवी सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार।
7.	निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, लखनऊ।	प्रतिनिधि	श्री वी0डी0 श्रीवास्तव, अपर निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0,
8.	कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नई दिल्ली	प्रतिनिधि	श्री शफीक अहमद, सहायक कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, लखनऊ
9.	निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन, लखनऊ	सदस्य	डा0 एस0वी0 सिंह, निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
10.	कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य	श्री के0वी0 सिंह, कृषि निदेशक
11.	निदेशक कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, निदेशक,कृषि विपणन
12.	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, आयुक्त एवं निदेशक	सदस्य / सचिव	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, सदस्य एवं सचिव

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही / निर्णय
1.	मा0 परिषद की 117वीं बैठक दिनांक 19.9.2006 की कार्यवाही की पुष्टि।	कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
2.	गत 117वीं बैठक की अनुपालन आख्या पर विचार।	117वीं बैठक की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
3.	वित्तीय वर्ष 2006-2007 में परिषद निधि के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि के अतिरिक्त व्यय का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। किसान मण्डी भवन में परिषद कार्यालय के अतिरिक्त अन्य सरकारी कार्यालयों में मीटर लगवाकर उन कार्यालयों द्वारा उपभोग की जा रही बिजली का भुगतान प्राप्त किया जाय।

4.	मण्डी परिषद/मण्डी समितियों द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 एए प्राप्त करने हेतु मा0 आयकर ट्रिब्युनल एंव मा0 उच्च न्यायालय में कार्यवाही के सम्बन्ध में।	परिषद द्वारा की जा रही कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
5.	स्व0 हरी राम आर्या, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अरूणांचल प्रदेश के मण्डी परिषद में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहने की अवधि में मृतक होने के कारण उनकी पुत्री कु0 हिमाली आर्या को मण्डी परिषद में सेवायोजित करने के सम्बन्ध मे विचार।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
6.	स्व0 राघवेन्द्र सिंह यादव सचिव श्रेणी–2 (नियमित से भिन्न) की पत्नी को मृतक आश्रित को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	सचिव, श्रेणी–2 के पद पर मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित करने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि शासन से शैक्षिक योग्यता में शिथिलता हेतु अनुमति प्राप्त कर ली जाय।
7.	जापान में आम के निर्यात सम्भावनाओं हेतु वी0एच0टी0 संयंत्र की स्थापना पर हुई प्रगति विषयक प्रस्ताव पर विचार।	प्रस्तावानुसार मैंगो पैक हाउस सहारनपुर में एपिडा के अनुदान से वी0एच0टी0 उपकरण की स्थापना की प्रगति एंव आगामी कार्यवाही अनुमोदित की गयी।
8.	उ0प्र0 पोटेटो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सोसायटी के सदस्यों हेतु नवभारत रेफ्रीजिरेशन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड थाने (महाराष्ट्र) में ताज ब्राण्ड आलू निर्यात के लिए आरक्षित कराये गये स्थान मे से रिक्त स्थान के भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही पर विचार।	मेसर्स उ0प्र0 नवभारत रेफ्रीजिरेशन एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड थाने (महाराष्ट्र) में उ0प्र0 पोटेटो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सोसायटी के सदस्यों हेतु ताज ब्राण्ड आलू निर्यात के लिए आरक्षित कराये गये 700 मी0टन के सापेक्ष अवशेष रिक्त स्थान 412.95 मी0टन का किराया रू0 750/– प्रति मी0टन की दर से रू0 3,09,712.50 के व्यय का वहन मण्डी परिषद से करने का निर्णय लिया गया।
9.	मण्डी परिषद के उपनिदेशक स्तर के पदो पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में।	इस सम्बन्ध में पूर्व में पारित प्रस्तावों के स्थान पर विनियम–10–(2) (क) में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया– "निदेशक और अपर निदेशक (प्रशासन) के पदों को छोड़कर वर्ग "क" के उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) के निम्न पद पदोन्नति द्वारा निम्नवत् भरे जायेंगे:– 1. मण्डी सचिव संवर्ग से 08 पद अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर। 2. विपणन अधिकारी के पदों से 03 पद अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर। 3. विपणन प्रबन्धक के पदों से 02 पद अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर।" प्रस्ताव का शेष अंश यथाप्रस्तावित अनुमोदित।

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
आयुक्त एवं निदेशक
सदस्य/सचिव

अनुमोदित

(शिवपाल सिंह यादव)
अध्यक्ष, मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश